संख्या-108/2022/1973/26-3-2022

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के 2225 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गा के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06-जिला कार्यालय का जनजाति सम्बन्धी अधिष्ठान के मानक मद-49-चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-161/ज0जा0वि0/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक-13.08.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गा के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06 जिला कार्यालय का जनजाति सम्बन्धी अधिष्ठान के मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रू0-2.36 लाख (रूपये-दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गा के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06 जिला कार्यालय का जनजाति सम्बन्धी अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन मद में कुल बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(8)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(9)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06 जिला कार्यालय का जनजाति सम्बन्धी अधिष्ठान के मानक मद-49-चिकित्सा व्यय मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ0संख्या-108/2022/1973(1)/26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।